कार्यालय निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान,जयपुर

विज्ञप्ति

वित्त विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट दिनांक 27.9.2011 के द्वारा राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.6.2011 में शिथिलता प्रदान करते हुये माह सितम्बर, 2011 के वेतन बिल सामान्य प्रावधायी निधि के कटौती पत्र ऑन लाईन प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी पारित करने के निर्देश जारी किये गये है।

उक्त निर्देशों की पालना में कोष कार्यालय में माह सितम्बर, 2011 के वेतन बिल सामान्य प्रावधायी निधि के कटौती पत्र ऑन लाईन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी बीमा सहायकों के द्वारा आक्षेपित नहीं किये जाये।

सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे माह सितम्बर, 2011 के जीपीएफ कटौती पत्रों को 10 अक्टूबर, 2011 तक ऑन लाईन प्रस्तुत कर देवें। माह अक्टूबर, 2011 के वेतन बिल सामान्य प्रावधायी निधि के कटौती पत्र ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने पर ही स्वीकार्य होगे। अतः कृपया वेतन बिल पारित करने के उपरान्त भी जीपीएफ कटौती पत्रों को ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया को आवश्यक तौर पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे।

निदेशक